131

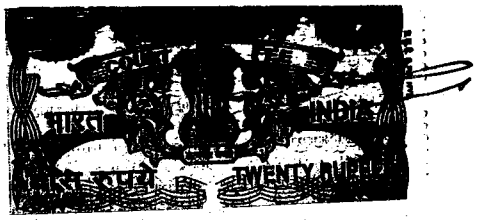

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0 ।

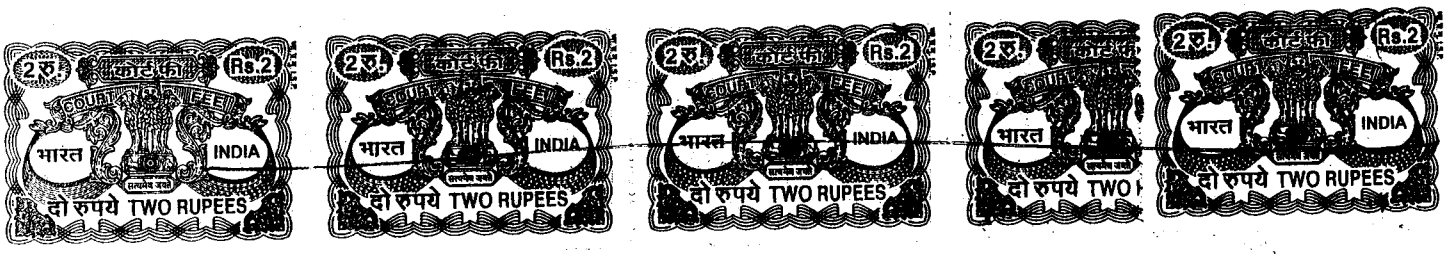

रिव्हू 5452-II/16

1- खुशीलाल पटेल तनय स्व0 माधौ पटेल निवासी ग्राम उल्ही कला तह0 मनगवां जिला रीवा म0प्र0 ।

2- समयलाल पटेल पिता स्व0 माधव पटेल निवासी ग्राम उल्ही कला तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0

------आवेदक/ निग0कर्ता ।

अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा पेश।
5-10-16

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र.
(सर्किट कोर्ट)

बनाम

प्र.क्र. नं.
1981/II
15-16

1- जगन्नाथ पटेल पिता परमेश्वरदीन पटेल,

2- उधव पटेल पिता ठाकुरदीन पटेल,

3- रामखेलावन पिता ठाकुरदीन पटेल ,

4- कुंज बिहारी पटेल पिता काशी पटेल,

5- राममिलन पिता जगन्नाथ पटेल

------ सभी निवासी ग्राम उल्ही कला तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0 ------ गैर निगरानी कर्ता/ अना0गण ।

आवेदन पत्र बाबत किये जाने पुर्नविलोकन माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक - 05-09-16 .

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक,पुनर्विलोकन 5452–दो/2016 जिल– रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–5–2017	आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन आवेदन म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत पारित आदेश 05–9–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। आवेदक को पुनर्विलोकन के ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं इस न्यायालय के मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 114 आदेश 47 नियम (1) में पुनर्विलोकन के लिए निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख है :– 1. किसी नई या महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना, जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नही थी, अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक द्वारा तर्क के दौरान ऐसी कोई नई बात अथवा तथ्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जो मूल निगरानी में आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं किये गये हों, न ही अभिलेख में परिलक्षित कोई त्रुटि ही बतलाई गई है। आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय में जिन तथ्यों को इंगित किया है उनका निराकरण मूल आदेश दिनांक 05–9–2016 में आदेश पारित किया जाकर चुका है। 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	